



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112025-267951
CG-DL-E-25112025-267951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्रहायण 4, 1947

No. 777]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 863(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दिनांक 22 अक्तूबर, 2025 की अधिसूचना जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में संख्या सा.का.नि 796(अ) में प्रकाशित हुई थी, उन बातों के सिवाए जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई हैं या करने से लोप की गई है, को निरस्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर-11014/03/2025-एनटी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2025

G.S.R. 863(E).— In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications, dated the 22nd October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.796(E), dated the 29th October, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. R-11014/03/2025-NT]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.